न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

इस्तगासा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014
(रसद विविध प्रार्थना पत्र संख्या 04/2014)

सरकार, जरिए अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी,सरवाड, (अजमेर) ....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री बछराज पुत्र श्री मोहन लाल जांगिड उचित मूल्य दुकानदार ग्राम अरवड
2. श्री दीपक पांडे पुत्र श्री रामफल नि. ग्राम अरवड तहसील सरवाड
3. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी रिको इण्ड.एरिया, सरवाड
4. मै0गौखरू फलोर मिल रीको इण्ड0 एरिया सरवाड। ....**अप्रार्थीगण**

उपस्थित:—

1. श्रीमती रेणूका चतुर्वेदी पैरोकार सरकार
1. श्री उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश दिनांक—08.08.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिंनाक 07.02.2014 को पुलिस थाना सरवाड द्वारा श्री बछराज पुत्र श्री मोहनलाल उ0मू0दू0 ग्राम अरवड को राशन का गैहूं कालाबाजारी हेतु वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 मय चालक दीपक पाण्डे पुत्र श्री रामफल को पकडा जाने की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर पहूँच कर पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा उ0मू0दू0 अरवड से उक्त वाहन महिन्द्रा पिक अप में गैहूँ भरकर श्री अशोक कुमार जैन की मैसर्स गौखरू फलोर मिल रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरवाड ले जाना स्वीकार किया। वाहन महिन्द्रा पिकअप में कुल 56 कट्टे गैहूँ वजन 2837 किलोग्राम जिनमें 26 कट्टे गैहूँ के मशीन सिंलाई के तथा 30 कट्टे गैहूँ हाथ सिलाई के सभी भारतीय खाद्य निगम मार्का के होना पाया गया। मौके पर ही 56 कट्टे गैहूँ वजन 2837 किलोग्राम तथा वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 कब्जेराज किया जाकर वाहन पुलिस थाना सरवाड तथा गैहूँ श्री धर्मदास उचित मूल्य दु0 खीरिया मुख्यालय सरवाड की सुपुर्दगी पर दिया गया। जिला रसद अधिकारी, अजमेर की उपस्थिति एवं निर्देशन में अप्रार्थी सं0 03 की गौखरू फलोर मिल के सत्यापन पर मिल में गैहूँ पिसाई हेतु रखा पाया गया जिनको हमालो से कट्टो में भरवाकर वजन किया जाने पर 50 कट्टो में कुल 2875 किलो 300 ग्राम पाया गया। इस गैहूँ के स्टॉक बाबत वक्त जांच खरीद बिकी के कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही गैहूँ प्राप्ति बाबत कोई संतोषजनक स्त्रोत बताया गया जबकि बछराज जांगिड की उ.मु दूकान का गैहूँ कालाबाजारी हेतु यहॉ आते हुए पकडा गया है। इससे जाहिर है कि पाया गैहूँ स्टॉक भी राशन का होकर कालाबाजारी से खरीदा गया है। गोखरू मिल से पाया गया गैहूँ कब्जे राज लेकर महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी ग्राम गोयल तहसील सरवाड की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 3,11,14,17 सी खण्ड 6 की अवेहलना होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम –1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा उक्त सामग्री एवं वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात दिनांक 18.2.2014 को पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर उनके निवेदनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 से जप्त 56 कट्टे गैहूँ वजन 2837 किग्रा जो कि शीघ्र खराब होने वाली सामग्री के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं0 03 द्वारा जरिये अभिभाषक द्वारा वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 को सुपुर्दगीनामें पर छोडे जाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उन्हे सुना जाकर रूपये 2,00,000/– अक्षरे दो लाख के बोन्ड एवं इतनी ही राशि की सन्तोषप्रद जमानत प्रस्तुति पर जप्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर सम्बन्धित को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द कर दिये जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी को दिये गये। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से वकील उत्तमगुरूबक्षानी एवं 3, 4 की ओर से उनके प्रतिनिधि सुशीलकुमार जैन उपस्थित आये। तथा अप्रार्थी संख्या 02 की तलबी हेतु जारी नोटिस पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 अरवड में जगरवीरसिंह पुत्र शंकरसिंह के ड्राईविंग का कार्य करता था जो अपने गॉव (यू0पी0) चला गया करीब 5–6 महीने हो गये वापिस नहीं आया। जगवीरसिंह ने भी इसकी पुष्टि की है तथा तारीख पेशी पर बुलाकर भेजने को कहा। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य/सुनवाई नियत की गई। उभय पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दिनाक 07.02.2014 को पुलिस थाना सरवाड द्वारा श्री बछराज पुत्र श्री मोहनलाल उ0मू0दू0 ग्राम अरवड को राशन का गैहूं कालाबाजारी हेतु वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 में ले जाते हुए मय चालक दीपक पाण्डे पुत्र श्री रामफल पकडा जाने की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर पहूँच कर पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा उ0मू0दू0 अरवड से उक्त वाहन महिन्द्रा पिक अप में गैहूँ भरकर श्री अशोक कुमार जैन की मैसर्स गौखरू फलोर मिल रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरवाड ले जाना स्वीकार किया। वाहन महिन्द्रा पिकअप में कुल 56 कट्टे गैहूँ वजन 2837 किलोग्राम जिनमें 26 कट्टे गैहूँ के मशीन सिलाई के तथा 30 कट्टे गैहूँ हाथ सिलाई के सभी भारतीय खाद्य निगम मार्का के होना पाया गया। मौके पर ही 56 कट्टे गैहूँ वजन 2837 किलोग्राम तथा वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 कब्जेराज किया जाकर वाहन पुलिस थाना सरवाड को तथा गैहूँ श्री धर्मदास उचित मूल्य दु0 खीरिया मुख्यालय सरवाड की सुपुर्दगी पर दिया गया। जिला रसद अधिकारी, अजमेर की उपस्थिति एवं निर्देशन में अप्रार्थी सं0 03 अशोक कुमार जैन की गौखरू फलोर मिल के सत्यापन पर मिल में कुल 2875 किलो 300 ग्राम गैहूँ पाया गया। इस गैहूँ के स्टॉक बाबत वक्त जांच खरीद बिक्री के कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही गैहूँ प्राप्ति बाबत कोई संतोषजनक स्त्रोत बताया गया जबकि बछराज जांगिड की उ.मु दूकान का गैहूँ कालाबाजारी हेतु यहाँ आते हुए पकडा गया है। इससे जाहिर है कि पाया गया गैहूँ स्टॉक भी राशन का होकर कालाबाजारी से खरीदा गया है। गोखरू मिल से पाया गया गैहूँ कब्जे राज लेकर महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी ग्राम गोयला तहसील सरवाड

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 3,11,14,17 सी खण्ड 6 की अवेहलना होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम –1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं अप्रार्थी संख्या 03 अशोक कुमार जैन द्वारा अवैध रूप से राशन का गैहूँ खरीदना तथा अप्रार्थी संख्या 02 दीपक पाण्डे द्वारा उनका सहयोग करना भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा उक्त सामग्री एवं वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जावे।

पैरोकार सरकार की बहस के जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र कथनों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रातः काल में गॉव से केकडी के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण वह पिकअप में बैठकर अपनी बहन के यहॉ जा रहा था। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार है परन्तु जप्त गैहूँ का अप्रार्थी से कोई सरोकार नहीं है। यदि जप्त गैहूँ को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट अनुसार जांच में अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों पर वितरित किये जाने वाला गैहूँ 56 कट्टे वजन 2837 किलोग्राम वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 में भरकर कालाबाजारी हेतु श्री अशोक कुमार जैन की मैसर्स गौखरू फलोर मिल रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरवाड ले जाने दौरान पकडा गया है। गौखरू फलोर मिल के सत्यापन पर मिल में भी पिसाई हेतु रखा गया कुल 2875 किलो 300 ग्राम गैहूँ पाया गया जिसके बाबत वक्त जांच खरीद बिकी के कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही गैहूँ प्राप्ति बाबत कोई संतोषजनक स्त्रोत बताया गया जबकि बछराज जांगिड की उ.मु दूकान का गैहूँ कालाबाजारी हेतु यहॉ आते हुए पकडा गया है। इससे जाहिर है कि पाया गैहूँ स्टॉक भी राशन का होकर कालाबाजारी से खरीदा गया है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा भी प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन जरिये दस्तावेजी साक्ष्य नहीं कर अपने प्रस्तुत जवाब/बहस में जप्त गैहूँ से उनका कोई सरोकार नहीं होने तथा जप्त गैहूँ को राजसात किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होने के कथन कहें है इससे उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी संख्या 01 का कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 3,11,14,17 सी खण्ड 6 की अवेहलना होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम –1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी संख्या 03 अशोक कुमार जैन द्वारा अवैध रूप से राशन का गैहूँ खरीदना तथा अप्रार्थी संख्या 02 दीपक पाण्डे द्वारा उनका सहयोग करना भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त तथ्यो के मध्यनजर प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से जप्त 56 कट्टे गैहूँ वजन 2837 किग्रा एवं मिल से कब्जे राज लिया गया 2875 किलो 300 ग्राम गैहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 को अवैध कारोबार के परिवहन के उपयोग में लाये जाने कारण रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी सं0 01 से जप्त किये गये कुल 56 कट्टे वजन 2837 किग्रा गैहूँ का अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 18.02.2014 को

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

दिये गये थे। इसी प्रकार वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 को आदेश दिनांक 06.03.2014 की अनुपालना में दिनांक 13.03.2014 को रूपये 02,00,000/- अक्षरे दो लाख के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर श्री अशोक कुमार जैन पुत्र प्रेम चन्द जैन निवासी सरवाड जिला अजमेर को रिलीज किये जाने का निरस्त किया जाता है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन महिन्द्रा पिक अप सं0 RJ 01-GB-1527 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित को सुपुर्द करें। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात की गई सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वार लिखवाया जाकर आज दिनांक 8.08.2018 को बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर